



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237395
CG-DL-E-20072022-237395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3084]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 3084]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3244(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काण्डला (गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एल०पी०जी० पाइप लाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई०एच०बी० लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइप लाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी आई०एच०बी० लिमिटेड, काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाइप लाइन परियोजना (के०जी०पी०एल०), जिला – प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : प्रयागराज		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
फूलपुर	रुदापुर	107	00	00	16
		90	00	10	14
		84	00	10	74
		71	00	01	15
		141	00	00	44
		143	00	07	75
		151	00	08	25
		153	00	12	99
		150	00	00	20
		154	00	00	37
		171	00	12	81
		364	00	08	74
		366	00	01	94
		367	00	05	40
		384	00	00	39
		385	00	00	20
		480	00	07	36
		389	00	00	20
		179	00	03	99
		478	00	00	49
		468	00	07	95
		467	00	07	93
		466	00	00	52
		465	00	13	62
		441	00	00	46
		415	00	07	32
		416	00	02	78
		418	00	10	61
फूलपुर	चिलौड़ी	119	00	04	32
		114	00	11	77
		120	00	00	92
		126	00	00	20
		132	00	06	35

135	00	00	59
141	00	07	68
146	00	00	39
145	00	05	55
148	00	00	38
210	00	10	25
218	00	05	18
217	00	01	31
216	00	16	21
215	00	00	20
214	00	00	20
225	00	00	41
229	00	10	33
43	00	01	70
237	00	09	07
45	00	00	20
42	00	00	20
41	00	03	31
40	00	03	02

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3244 (E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the petroleum product in the state of Uttar Pradesh Pipeline should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline. It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in.

Any person interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Competent Authority, IHB Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Dist.- Prayagraj (UP) within twenty one days from the date on which the copies of the notification Issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

KANDLA – GORAKHPUR PIPELINE PROJECTS					
District : Prayagraj		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4		
Phulpur	Rudapur	107	00	00	16
		90	00	10	14
		84	00	10	74
		71	00	01	15
		141	00	00	44
		143	00	07	75
		151	00	08	25
		153	00	12	99
		150	00	00	20
		154	00	00	37
		171	00	12	81
		364	00	08	74
		366	00	01	94
		367	00	05	40
		384	00	00	39
		385	00	00	20
		480	00	07	36
		389	00	00	20
		179	00	03	99
		478	00	00	49
		468	00	07	95
		467	00	07	93
		466	00	00	52
		465	00	13	62
		441	00	00	46
		415	00	07	32
		416	00	02	78
		418	00	10	61
Phulpur	Chilaudi	119	00	04	32
		114	00	11	77
		120	00	00	92
		126	00	00	20
		132	00	06	35
		135	00	00	59
		141	00	07	68

146	00	00	39
145	00	05	55
148	00	00	38
210	00	10	25
218	00	05	18
217	00	01	31
216	00	16	21
215	00	00	20
214	00	00	20
225	00	00	41
229	00	10	33
43	00	01	70
237	00	09	07
45	00	00	20
42	00	00	20
41	00	03	31
40	00	03	02

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.